न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

लक्ष्मेश्वर पंडित

वनाम

घुरन पंडित

वाद संख्या–35–2013–14

वाद का प्रकार–अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

15.11.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा हरिनगर थाना वो अंचल कु0 स्थान जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
124	2919 1890	2 डि0 में से 1 डि0 पर	उ0–वंशीधर झा द0–वादीगण पु0–देववन्द्र झा प0–प्रतिवादीगण

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि कार्यवाही की भूमि वादीगण की मरौसी/खतियानी भूमि है जिस पर वादी का शांतिपुर्ण दखल कब्जा है एवं उपयोग वो उपभोग के चला आ रहा है। वादीगण के द्वारा प्रतिवादी को पौने पॉच धुर भूमि विक्रय कर दिया गया है। वादीगण के द्वारा 04 धुर भूमि एवं अन्य व्यक्तियों के हाथो भी बेचा जा चुका है। कार्यवाही भूमि का पुराना खेसरा 1890 है

जिसका कुल रकवा 02 कट्ठा 06 धुर है। उक्त भूमि में से कुल मिलाकर पौने 9 धुर भूमि बेचा जा चुका है शेष रकवा वादी का 01 कट्ठा 17 धुर बचा हुआ है। वादीगण के पुर्वज के नाम से 7 डि0 यानि 32 धुर लगभग का खतियान बना हुआ है शेष रकवा 5 धुर प्रतिवादी के खेसरा 2919 में शामिल हो गया है जिसके अधिकार के प्रख्यापन हेतु यह वाद वादीगण के द्वारा अपने नाम से करने हेतु दायर कर रहा है। उक्त भूमि में प्रतिवादी को मात्र पौने 5 धुर भूमि से मतलब वो सरोकार है शेष भूमि वादीगण का है। उक्त भूमि दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल के कु0 स्थान अंचल वो थाना के हरिनगर मौजा में अवस्थित है

वहीं दुसरी तरफ विपक्षीगण का कहना है कि वर्तमान वाद कानुन के नजर में मेनटेबुल नही है क्योकिः– वाद रिसज्युडीकाटा से सफर करता है। वाद की भूमि से संबंधित हकियत वाद संख्या–18/2004 सक्षम न्यायालय मुंसीफ बिरौल मुकाम बेनीपुर के द्वारा दिनांक 16.06.06 को डिग्री पारित किया जा चुका है। वादी हाल खतियान एवं नक्शा में सुधार अर्थात (राईट ऑफ रेकॉर्ड) में सुधार से संबंधित है जो उक्त प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इस वाद में वादी के कॉलम में लक्ष्मेश्वर पंडित वो राम चन्द्र पंडित है जबकि वाद पत्र में सिर्फ लक्ष्मेश्वर पंडित का हस्ताक्षर है। अतः वादी का वाद पत्र मेनटेनेबुल नही है। वादी लिखते है कि वाद की भूमि मरौसी खतियानी भूमि है जबकि वादी के खतियानी रैयत कौन थे स्पष्ट नही किया गया है एवं उनका वंश वृक्ष नही दिया गया हैं। साथ ही पुराना खतियान भी दाखिल नही किया गया है। वादी का वाद पुर्णतः गहरा स्वामित्व का दावा किया गया है एवं स्वामित्व का निराकरण हकियत वाद संख्या–18/04 में निर्णय सक्षम नयायालय द्वारा किया जा चुका है। वादी का दावा हाल खतियान नक्शा के सुधार से संबंधित है जबकि प्रश्नगत भूमि का हाल खतियान अप्रील 1986 में किया गया। अगर वादी को कोई उजुर था तो उन्हे बी0 टी0 एक्ट के धारा 106 के तहत भूबन्दोबस्त पदाधिकारी दरभंगा के न्यायालय में वाद दायर करनी चाहिए परंतु ऐसा नही किया गया। प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी को प्रश्नगत भूमि

के खतियानी रैयत वारिसान खोरहा पंडित वो जगदीश पंडित पे0 बुचाई पंडित को उचित जरसिमन देकर बजरिये निबंधित केवाला सं0–5571 दिनांक 20.09.1956 द्वारा प्राप्त है एवं केवाला के बाद से प्रतिवादी के शांतिपुर्ण दखल कब्जा वो अवासीय मकानमय सहन के रूप में चला आ रहा है। हाल सर्वे के दरमियान हाल सर्वे आमला ने प्रतिवादी का दखल कब्जा वो सुसंगत कागजात पाया फलस्वरूप प्रतिवादी के नाम से हाल खाता वो हाल खतियान का प्रकाशन वर्ष 1996 ई0 में किया गया अर्थात प्रतिवादी को हाल खतियान भी प्राप्त है एवं उक्त भूमि प्रतिवादी का खतियानी भूमि है। जिस पर प्रतिवादी का शांतिपुर्ण दखल कब्जा वो उपयोग में चला आ रहा है। पुलिस प्रतिवेदन अन्दर धारा 107 द0 प्र0 सं0 कु0 स्थान अ0 प्र0 सं0 08/12 के अवलोकन से स्पष्ट है कि बेनीपुर के न्यायालय में टी0 एस0 नं0 18/04 के तहत अनिल झा वनाम घुरण पंडित के बीच मुकदमा चला जिसमें दिनांक 07.04.2006 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को उक्त भूमि पर जाने हेतु 6 कड़ी चौड़ा रास्ता प्रदान किया गया, जिसके तहत प्रतिवादी उक्त रास्ता होकर अपने भूमि पर आवागमन करते रहे हैं।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उसकी मरौसी सम्पत्ति है। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में रैयत खतियान एवं रैयती रकवा स्लीप संलग्न किया है। संलग्न वंशावली के अनुसार रैयती खतियान में प्रश्नगत भूमि वादी के दादा ढोढ़ाई पंडित वो वादी के दादा के दादा गोनर पंडित का नाम दर्ज है। जबकि इस वाद में प्रश्नगत भूमि पर केवल ढोढाई पंडित के वंशजो द्वारा दावा किया जा रहा है परंतु वादी के दावा के संबंध में कोई निबंधित बटवारानामा या अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिसके आधार पर वादीगण के दावा को प्रमाणित किया जा सके। प्रतिवादी का कहना है कि दखल के आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में हाल खतियान का प्रकाशन हुआ है जो सही है। प्रतिवादी द्वारा खतियान में दर्ज दो डि0 का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। प्रतिवादी को

केवाला से केवल पौने पॉच धुर भूमि प्राप्त है जो संलग्न किया गया है। प्रश्गनत भूमि पर न्यायालय मुंसिफ बेनीपुर द्वारा पारित हकियत वाद अनिल कमार झा बनाम घुरण पंडित में भी वादीगण के संबंध में कोई जिक नही किया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर हकियत वाद में पारित सुलहनामा आदेश पर कोई निर्णय देना इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतः इस वाद को खारिज किया जाता है।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से उभय पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल